न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-127/2015/भीलवाड़ा (2015/00030)

1. श्रीमती लाली पत्नि मदन जाति हरिजन निवासी ग्राम सरथला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

2. श्रीमती कमला पुत्र लाल उर्फ जला जाति हरिजन निवासी ग्राम सरथला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलांट्स

बनाम

1. श्री लादु पुत्र धन्ना जरिये वारिसान

1/1 श्रीमती शांतिदेवी पत्नि लादू

1/2 भैरूलाल पुत्र लादू

1/3 राजूलाल पुत्र लादू

1/4 लालचन्द पुत्र लादू

समस्त जाति हरिजन निवासी ग्राम सरथला,तहसील माण्डलगढ,जिला भीलवाडा

1/5 लक्ष्मीदेवी पुत्री लादू पत्नि गब्बर

1/6 रूपा देवी पुत्री लादू पत्नि बब्बर

समस्त जाति हरिजन निवासी हरिसिंह का लाम्बा जिला टोंक

2. रामलाल पुत्र धन्ना

3. लाली पुत्री खाना

4. प्रेम पुत्री खाना

5. पानी पुत्र लाला उर्फ जला

6. अनोप पुत्री लाल उर्फ जला

7. बदाम पुत्री नन्दू

समस्त जाति हरिजन निवासी ग्राम सरथला,तहसील माण्डलगढ,जिला भीलवाडा

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डलगढ -भीलवाड़ा।

रेस्पोंडेंट्स

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर सत्यमेव जयते

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 02.09.2015 अंतर्गत अपील संख्या 55/2015

उपस्थितः-

1. श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट उपस्थित।
2. श्री गौतम चन्द टांक रेस्पो0 सं0 2 ~~से 07~~ उपस्थित।
3. श्री अर्जुन लाल गुर्जर रेस्पो. सं. 1 व 3 से 7 उपस्थित

All addition & Deleting + Cutting Attested

19/02/2020

निर्णय

दिनांक :-12.02.2020

अपीलांट ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.09.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार माण्डलगढ ने नामान्तरकरण संख्या 1004 दिनांक 02.01.2002 को दापू बेवा लाला एंव मदन पिता धन्ना का देहान्त के पश्चात् खसरा सं0 312 रकबा 6.05 बीघा खसरा सं0 615 रकबा 6.13 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 12.18 बीघा स्थित ग्राम सरथला का विरासत के आधार पर रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 8 स्वीकृत करने का आदेश प्रदान कर दिया जिसके विरुद्ध अपीलांट ने एक अपील विद्धान जिला कलक्टर भीलवाडा के यहां प्रस्तुत की जिसे उन्होने अपने आदेश दिनांक 02.09.2015 के द्वारा अपीलांट की अपील को अस्वीकार किये जाने का आदेश पारित कर दिया । विद्धान जिला कलक्टर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सजरा के अनुसार स्व0 मंगना जी अपीलांट के परिवार के मूल पुरुष थे जिनके तीन पुत्र लाला उर्फ जला,खाना एंव धन्ना थे तथा धापु बेवा लाला उर्फ जला एंव मदन पिता धन्ना के देहान्त के बाद विवादित भूमि का नामान्तकरण रेस्पो0 1 लगायत 6 के नाम पर तहसीलदार ने बिना जांच किये स्वीकृत कर दिया जबकि धापु बेवा लाला के देहान्त के बाद उसके हक हिस्सा की भूमि का नामान्तरकरण पानी अनोप कमला एंव नन्दु की पुत्री बदाम के नाम एंव मदन के देहान्त के बाद विवादित आराजियात उसकी पत्नि लाली के नाम खोला जाना चाहिए था । अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मु0धापु के देहान्त के समय धापु की 4 पुत्रियां जीवित थी ओर वर्तमान में पानी,अनोप व कमला जीवित है और नन्दु की वारिस बदाम पुत्री होकर जीवित है एंव मदन पिता धन्ना का देहान्त के बाद उसकी पत्नि लाली जीवित होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है साथ ही इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया कि अपीलांट ग्रामीण महिला काश्तकार हे जिसको कानून की जानकारी नहीं थी एंव अपीलांट को नामान्तरकरण आदेश की जानकारी नहीं थी एंव दिनांक 24.05.2015 को रेस्पो ने मौके पर आकर अपीलांट को बेदखल करने का प्रयास किया एंव झगडा किया तो अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 26.05.2015 को आदेश की नकल प्राप्त कर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत कर दी गई एंव अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए क्षमा करवाने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में समुचित एंव पर्याप्त कारण अंकन कर दिये गये थे । xx

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर सत्यमेव जयते

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये जो वाद तामिल प्राप्त हुए । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त हुआ। ~~रेस्पोडेन्ट अभिभाषक बावजूद सूचना होने के उपरांत परिस्थिति~~ प्रकरण में उपभपक्षीय बहस सुनी गई ।xx

3- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्धान जिला कलक्टर भीलवाडा ने अपील संख्या 55/2015 में अपीलांट की अपील को केवल मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दिया जबकि उत्तराधिकार होने की स्थिति में मियाद का नियम लागू नहीं होता है अविधिक नामान्तरकरण पर मियाद का कानून लागू नहीं होता है । अतः प्रकरण में वारिसानों की जांच कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

4- अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस के समर्थन में मेरा अध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांतों 1.1993(1)RRD 311 की ओर आकर्षित करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।xx

5- अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस का जबाव देते हुए कथन किया कि विद्धान जिला कलक्टर भीलवाडा (अधिनस्थ न्यायालय) में 15 वर्ष बाद अपीलांट द्वारा अपील दायर की गई जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर मानते हुए प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 को खारिज करते हुए अपील संधारणीय नहीं माना जो उचित है क्योंकि इनके धारा 5 के प्रार्थना पत्र में कोई आधार नहीं दिया जबकि विलम्ब को क्षमा कराने के लिए प्रत्येक दिन के विलम्ब के बारे में पर्याप्त ठोस कारण होना आवश्यक है साथ ही अपीलांट लाली ने पुनर्विवाह कर लिया है इस कारण वह अपने पति की विरासत में सम्पत्ति में अधिकार नहीं रखती है उसने अपना अधिकार खो दिया है । चूंकि नामान्तकरण की कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें वसीयत,वारिसान एंव उत्तराधिकार संबंधी जटिल प्रश्नों का निस्तारण नहीं किया जा सकता इसके लिए पक्षकार को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर अधिकारो की घोषणा करवाया जाना आवश्यक होता है एंव वर्तमान में अपीलांट की तरफ से अन्तर्गत धारा 53 का प्रकरण विद्धान उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा में लम्बित है एंव विद्धान जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 02.09.2015 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि अपीलार्थी अपने हक व अधिकार के लिए सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है । अतः अपील अपीलांट अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।xx

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

6- अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस के समर्थन में मेरा अध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांतों 1.1998(7)SC12 2-2009(1)RRT 432 3-2014(1)RRT 154 4-2014(1)RRT 117 5-AIR 1994 SC 853 6-2012(1) 137 7-AIR 1998 SC 2276 8- AIR 2014 SC 1612 9-2005(12)RBJ 735 10-AIR 2011 SC 1237 11-AIR 1987 SC 1353 12.1958RWA(Revenue Suppliment) 7 की ओर आकर्षित करते हुए कथन दिया कि अपील को देरी से पेश करने का कोई वैद्य कारण नहीं होने से अपील को पेश करने की देरी को माफ नहीं किया

Scanned by CamScanner

जा सकता अपील अपीलांट अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। xx

7- हमने अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक की उभयपक्षीय बहस दौराने अपीलमीमो में उल्लेखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुना व अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के साथ अपीलान्ट द्वारा अपील में प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का मनन व गहनता से अवलोकन किया । xx

8- हमने विद्धान अधिनस्थ न्यायालय भीलवाडा द्वारा दिये गये निर्णय का गहनता से अध्ययन व मनन किया और पाया कि उक्त प्रकरण में मियाद अधिनियम 1956 की धारा 5 के आधार पर ही निर्णय दिया गया है एंव विद्धान अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय के विरूद्ध ही अपील प्रस्तुत हुई है इस स्थिति में हम मियाद अधिनियम 1963 की धारा 5 के संबंध में विचार करना उचित समझते हैं। उक्त प्रकरण में अपीलांट का तर्क कि उत्तराधिकार होने की स्थिति में मियाद का नियम लागू नहीं होता है अविधिक नामान्तरकरण पर मियाद का कानून लागू नहीं होता है इसके संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांतों से पूर्ण सहमत है कि प्रार्थी ने सतर्क रहकर अपील प्रस्तुत करने की कार्यवाही 15 वर्ष तक नहीं की तथा अपील की देरी से पेश करने का कोई वैध कारण भी प्रार्थना पत्र में नहीं दिया इस स्थिति में अपील में देरी को माफ नहीं किया जा सकता । जबकि विलम्ब को क्षमा कराने के लिए प्रत्येक दिन के विलम्ब के बारे में पर्याप्त ठोस कारण होना आवश्यक है जो प्रस्तुत अपील/दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं हैं अतः ऐसे में अपील को पेश करने की देर कतई क्षम्य नहीं होने एंव बिना किसी उचित कारण के लम्बी अवधि के उक्त प्रकरण पर विचार हेतु स्वीकार किया जाना संभव नहीं हैं इससे प्रथम दृष्टया प्रस्तुत अपील मियाद बाधक सिद्ध होती है जब कोई मामला मियाद बाधक सिद्ध है,तो उसके गुणावगुणो पर विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती । हम विद्धान रेस्पोडेन्ट अभिभाषक के इस कथन से भी हम सहमत है कि नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसेडिंग होकर भू-राजस्व निर्धारण करने की प्रकिया है इसमे अधिकार या स्वत्व संबंधी कानूनों के पेचीदे प्रश्नों का हल नहीं करती । राजस्व मण्डल ने अपने एक निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यद्यपि नामान्तरकरण की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 23 के अधीन एक न्यायिक कार्यवाही के समान होती है तथापि इससे यह अभिप्राय नहीं है कि किसी भूमि संबंधी अधिकारों के विषय में उसके द्वारा कोई अन्तिम रूप से निर्णयात्मक फैसला (Final Adjudication) दिया जा सके । **अतः** विद्धान जिला कलक्टर भीलवाडा के निर्णय दिनांक 2.09.2015 में कोई विधिक त्रृटि नहीं होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं हैं। xx

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

–:क्रियात्मक आदेश:–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 127/2015 (2015/00030) बउनवानी लाली बनाम लादू कायम मुकाम शांतिदेवी व अन्य को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा जिला कलक्टर, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 55/2015 बउनवान लाली व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2015 को यथावत रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

आदेश आज दिनांक 12.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.03.30 11:35:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: